Do you need a TV Licence?

You need to be covered by a TV Licence to:

a) watch or record live TV programmes on any channel, and
b) download or watch BBC programmes on iPlayer.

This could be on any device, including a TV, desktop computer, laptop, mobile phone, tablet, games console, digital box or DVD/VHS recorder.

If you do any of the above without a valid licence, you risk prosecution and a maximum penalty of up to £1,000*, plus any legal costs and/or compensation you may be ordered to pay. You will also still have to buy a TV Licence if you need one.

To find out more, go to **tvlicensing.co.uk/info**

Please see 'How to buy a TV Licence' below for different ways to pay.

*The maximum fine is £2,000 in Guernsey.

Only watching non-UK satellite programmes?

You still need a licence, even if you only watch or record programmes broadcast from outside the UK.

Moved home recently?

If you have moved home and have a licence for your old address, please tell us by visiting **tvlicensing.co.uk/moving** or by calling 0300 790 6044.

Don't need a licence?

You don't need a TV Licence if you never watch or record live TV programmes on any channel or device, and never download or watch BBC programmes on iPlayer.

Please tell us you don't need a licence by going to **tvlicensing.co.uk/noTV**, calling 0300 790 6044 or writing to Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
We may confirm this with a visit.

If you have sight problems, you can get this information by email or in Braille, large print or audio by calling 0300 790 6076.

If you are deaf, hard of hearing or speech impaired, we support the Next Generation Text (NGT) Service. For more information see **tvlicensing.co.uk/accessibility**

How to buy a TV Licence.

A colour TV Licence costs £169.50 (£57.00 for a black and white licence). There are lots of different ways to pay – choose the one that suits you best:

PayPoint – you can pay for a TV Licence by cash or debit card. Find your nearest outlet at **paypoint.com/locator** or if you live in the Channel Islands or Isle of Man, you can visit your local post office.

TV Licensing payment card – you can pay for your TV Licence weekly with payments from £6.50. Please call **0300 555 3456**.

Credit/debit card – you can make a single payment with a debit or credit card, including Maestro, Delta, Visa, Visa Electron or MasterCard. Pay online at **tvlicensing.co.uk/payinfo** or call 0300 790 6044.

Direct Debit – you can spread the cost of your licence by choosing from our range of Direct Debit options. Find out more at **tvlicensing.co.uk/payinfo** or call 0300 790 6044.

By post – send a cheque for the full TV Licence fee payable to 'TV Licensing', writing your name, address and postcode clearly on the back of the cheque. Send it to TV Licensing, Darlington DL98 1TL. Please do not send cash.

Could you get a concession?

Are you, or is someone you live with:

- **Aged 75 or older, and receiving Pension Credit?** You can apply for a free TV Licence. You need to be receiving Pension Credit in your name, or this can be in your partner's name if you are a couple and living at the same address.
  74 years old and receiving Pension Credit? You can apply for a free TV Licence now, plus a short-term licence to cover you until your 75th birthday.
  If you live in the Channel Islands or Isle of Man, different conditions may apply.
- **Blind (severely sight impaired)?** You may be eligible to apply for a 50% concession. You can complete and print out an online application form at **tvlicensing.co.uk/blind** and send it to us along with a copy of your document of blind registration or a certificate from your ophthalmologist. You'll also need your licence number, phone number and cheque payment. Please post to TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL.

For more information on concessions, go to **tvlicensing.co.uk/concessions** or call **0300 790 6044**.

TV LICENSING
tvlicensing.co.uk

LFAQ/SLT/04/24/HINDI Updated 04/24

क्या आपको टीवी लाइसेंस की जरूरत है?

आपको एक टीवी लाइसेंस द्वारा कवर किए जाने की जरूरत है यदि आप:

a) किसी भी चैनल पर लाईव टीवी कार्यक्रमों को देखते या रिकॉर्ड करते हैं, और
b) बीबीसी के कार्यक्रमों को iPlayer पर डाउनलोड करते या देखते हैं।

यह टीवी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट, गेम कंसोल, डिजिटल बॉक्स या डीवीडी/वीएचएस रिकॉर्डर सहित किसी भी डिवाइस पर हो सकता है।

यदि आप बिना मान्य लाइसेंस के उपरोक्त में से कुछ भी करते हैं, तो आपको मुकदमें का सामना करना पड़ सकता है और अधिकतम £1,000* तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, तथा आपको कानूनी लागतों और/या मुआवजे को अदा करने का आदेश भी दिया जा सकता है। यदि आपको किसी एक लाइसेंस की जरुरत है तो आपको अब भी एक टीवी लाइसेंस लेना होगा।

अधिक जानकारी पाने के लिए, **tvlicensing.co.uk/info पर जाएं**

कृपया भुगतान करने के विभिन्न तरीकों के लिए नीचे दिए गए 'टीवी लाइसेंस कैसे खरीदें' ('How to buy a licence') को देखें।

*गर्नसी में अधिकतम £2,000 जुर्माना है।

क्या आप केवल गैर-यूके सैटेलाइट कार्यक्रम देख रहे हैं?

आपको तब भी लाइसेंस की जरूरत है, भले ही आप केवल यूके के बाहर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देखते या रिकॉर्ड करते हैं।

क्या आपने हाल ही में घर बदला है?

यदि आपने नया घर बदला है और आपके पास अपने पुराने पते का लाइसेंस है, तो कृपया हमारी वेबसाइट **tvlicensing.co.uk/moving** पर जाकर या 0300 790 6044 पर फोन करके हमें सूचित करें।

क्या आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है?

यदि आप किसी चैनल या उपकरण पर लाईव टीवी कार्यक्रमों को कभी नहीं देखते या रिकॉर्ड नहीं करते, और बीबीसी के कार्यक्रमों को iPlayer पर कभी डाउनलोड नहीं करते या देखते नहीं, तो आपको टीवी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

tvlicensing.co.uk/noTV पर जाकर, 0300 790 6044 पर कॉल करके या फिर Customer Services, TV Licensing, Darlington DL98 1TL को पत्र लिख कर भी हमें सूचित कर सकते हैं कि आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसकी पुष्टि हम आप से मुलाकात करके कर सकते हैं।

यदि आपको नज़र संबंधी समस्याएं हैं, तो आप यह जानकारी

0300 790 6076

पर फोन करके, ईमेल द्वारा या ब्रेल में, बड़े प्रिंट या ऑडियो में प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप बहरे हैं, ऊँचा सुनते हैं या बोलने में असक्षम हैं, तो हम नेक्स्ट जेनेरेशन टेक्स्ट (NGT) सर्विस का समर्थन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए, **tvlicensing.co.uk/accessibility** पर जाएं।

टीवी लाइसेंस कैसे खरीदें।

रंगीन टेलीविज़न के लाइसेंस की लागत £169.50 है (श्याम और श्वेत टेलीविज़न के लिए £57.00 है)। भुगतान करने के अनेक भिन्न तरीके हैं – बस ऐसा एक तरीका चुनें जो आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल हो:

PayPoint – आप नकद या डेबिट कार्ड द्वारा टीवी लाइसेंस के लिए भुगतान कर सकते हैं। **paypoint.com/locator** पर अपने सबसे करीबी आउटलेट को तलाशें या यदि आप चैनल आइलैंड्स (Channel Islands) या आइल ऑफ मैन (Isle of Man) में रहते हैं तो आप अपने स्थानीय डाकघर में जा सकते हैं।

टीवी लाइसेंसिंग भुगतान कार्ड – आप अपने टीवी लाइसेंस के लिए साप्ताहिक रूप से £6.50 का भुगतान कर सकते हैं। कृपया **0300 555 3456** पर कॉल करें।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड – आप Maestro, Delta, Visa, Visa Electron या MasterCard समेत डेबिट या क्रेडिट कार्ड से एकल भुगतान कर सकते हैं। **tvlicensing.co.uk/payinfo** पर ऑनलाइन भुगतान करें या 0300 790 6044 पर कॉल करें।

डायरेक्ट डेबिट – आप अपने लाइसेंस की लागत को डायरेक्ट डेबिट विकल्पों की हमारी रेंज से चुनकर बांट सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए **tvlicensing.co.uk/payinfo** पर जाएं या 0300 790 6044 पर कॉल करें।

डाक द्वारा – 'टीवी लाइसेंसिंग' ('TV Licensing') को देय पूरे टीवी लाइसेंस शुल्क के लिए एक चेक भेजें जिसके पीछे अपना नाम, पता और पोस्टकोड स्पष्ट रूप से लिखें। इसे TV Licensing, Darlington DL98 1TL को भेजें। कृपया नकद राशि न भेजें।

क्या आप छूट प्राप्त कर सकते हैं?

क्या आप, या आपके साथ रहने वाला कोई:

- **75 वर्ष या उस से अधिक आयु का है और आप पेंशन क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं?** आप एक मुफ्त टीवी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपको अपने नाम से पेंशन क्रेडिट प्राप्त हो रही हो, या यह आपके साथी के नाम पर हो सकता है यदि आप एक जोड़े हैं और एक ही पते पर रह रहे हैं।

  ***74* वर्ष की आयु है और पेंशन क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं?** आप अभी एक मुफ्त टीवी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अपने 75वें जन्मदिवस के आने तक एक शॉर्ट टर्म लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  यदि आप चैनल आइलेंड्स या आइल ऑफ़ मैन में रहते हैं, तो अलग शर्तें लागू हो सकती हैं।

- **दृष्टिहीन हैं (आपकी दृष्टि बुरी तरह से प्रभावित है)?** आप 50% रियायत के लिए आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं। आप **tvlicensing.co.uk/blind** पर एक ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरा कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और हमें अपने नेत्रहीन पंजीकरण के दस्तावेज] या अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से एक प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ भेज सकते हैं। आपको अपने लाइसेंस नंबर, फोन नंबर और चेक पेमेंट की आवश्यकता होगी। कृपया इस पते पर पोस्ट करें TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL.

रियायतों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, **tvlicensing.co.uk/concessions** पर जाएँ या **0300 790 6044** पर कॉल करें।

LFAQ/SLT/04/24/HINDI अद्यतन 04/24

TV LICENSING

tvlicensing.co.uk